न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–4/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00138)

1. भंवर सिंह पुत्र हनुमान सिंह,
2. निरंजन सिंह पुत्र हनुमान सिंह, समस्त जाति राजपूत निवासी घोडीवाराकलां, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू।

---अपीलान्ट्स

बनाम

1. हजारी लाल पुत्र श्री सेवाराम,
2. रामलाल पुत्र श्री सेवाराम, समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम घोड़ीवाराकलां, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू।

---रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 08.04.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ जिला झुन्झुनू के आदेश दिनांक 14.10.2015 (प्रकरण संख्या 1/2013) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय क्षेत्राधिकार बाहर जाकर पारित किया गया है क्योंकि राजस्थान भू र जस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत केवल मात्र 3 प्रकार के विवादों का ही निस्तारण ही किया जाकर दुरूस्त किया जा सकता है जिसके अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में लिपिकीय त्रुटियॉ ऐसी त्रुटियों को पक्षकारान आपसी सहमति से ही ठीक कराना चाहते है या ऐसी त्रुटियों जो भू अभिलेख अधिकारी किसी रिकार्ड के निरीक्षण के दौरान याद कर इस प्रकार की त्रुटियॉ के धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत सुनवाई कर दुरूस्ती का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त है परन्तु प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा नक्शा दुरूस्ती करवाना चाहता है, जो उक्त धारा के तहत न तो दुरूस्ती किया जा सकता है और ना ही प्रार्थना पत्र पोषणीय है इस बारे में अपीलार्थीगण द्वारा अपनी जवाबदेही में भी निवेदन कर दिया था कि यदि प्रार्थना की कोई किसी प्रकार का हक व अधिकार बनता है तो नक्शें की तरमीम सक्षम न्यायालय में नियमित वाद कर चाराजोही कर सकता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक बिन्दू को अनदेखी करते हुये जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

खसरा नम्बर 331 के पूर्व में पुराने खसरा नम्बर 147 थे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 23 की भूमि खसरा नम्बर 335 के पुराने खसरा नम्बर 297 थे, उक्त खसरा नम्बर 147 का राजस्व रिकार्ड में नक्शा पैमाईश के समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना कोई कारण के गलती से परिवर्तन कर नक्शा छोटा कर दिया गया तथा खसरा नम्बर 335 का नक्शा बड़ा कर दिया गया हैं, जो गलत किया गया है, उक्त नक्शें को दुरूस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार करते हुये नक्शें में दुरूस्ती किये जाने बाबत नक्शे में तरमीम चाही गई है, अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं के स्तर पर कोई अंतिम आदेश पारित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया गया कि ग्राम घोड़ीवारा कलां की भूमि खसरा नम्बर 331 व 586/331 की दक्षिणी सीमा नक्शा ट्रेस सन् 1935–36 के अनुसार राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में दुरूस्त किये जाने के आदेश देते हुये मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये है, जो अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर होने के साथ अवैध एवं अनियमित होने की वजह से निर्णय मातहत अदालत न्याय व कानून के सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण को कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 335 रकबा 2.10 हैक्टयर तथा उनके ही भूमि का नक्शा बनता हुआ है तथा रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 331 रकबा 1.44 हैक्टयर व खसरा नम्बर 556/331 रकबा 1.44 हैक्टयर कुल रकबा 2.88 हैक्टयर उतने ही रकबे का नक्शा पूर्व से ही बना हुआ है इसमें किसी प्रकार की तरमीम की आवश्यकता नही है क्योंकि खसरा नम्बर 331 व 335 के बीच सही लाईन अंकित है व मौके पर रकबे के मुताबिक पक्षकारान की भूमि स्थित है, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट को नक्शा ट्रेस को दुरूस्त कराने का कोई कानूनन हक व अधिकार नही बल्कि रेस्पोडेन्ट नक्शें में तरमीम कराकर इसकी आड़ में अपीलान्ट की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात को कब्जे में लेने व हड़पने की कोशिश में है इस आशय से रेस्पोडेन्ट ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट हजारी लाल व रामलाल से मिलीभगत कर अपीलाधीन निर्णय सादिर किया है जो न्याय व कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों एवं परिस्थतियों के मद्देनजर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ द्वारा प्रकरण संख्या 1/2013 पर पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.10.2015 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 1/2013 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें जिससे

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि ग्राम घोड़ीवाराकलां में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी हक अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 586/331 रकबा 1.44 हैक्टयर व खसरा नम्बर 331 रकबा 1.44 हैक्टयर स्थित है तथा अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 335 रकबा 2.10 हैक्टयर स्थित है तथा उपरोक्त वर्णित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी की भूमि के विभाजन से पूर्व खसरा नम्बर 331 रकबा 2.88 हैक्टयर थे, जो रेस्पोडेन्ट के संयुक्त खातेदारी की भूमि थी परन्तु रेस्पोडेन्ट के आपस में विभाजन होने से उक्त भूमि के दो खाते बनाये गये खाता में खसरा नम्बर 586/331 रकबा 1.44 हैक्टयर जो कि रेस्पोडन्ट संख्या 1 की खातेदारी में है तथा खसरा नम्बर 331 रकबा 1.44 हैक्टयर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की खातेदारी में है जिसका कोई विवाद नही है, उपरोक्त खसरा नम्बर 331 के पूर्व में पूराने खसरा नम्बर 147 थे तथा अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 335 के पुराने खसरा नम्बर 297 है, उक्त खसरा नम्बर147 का राजस्व रिकार्ड का नक्शा पैमाईश के समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना कोई कारण के गलती से परिवर्तन कर नक्शा छोटा कर दिया गया तथा पुराने खसरा नम्बर 297 से बने नये खसरा नम्बर 335 का नक्शा बड़ा कर दिया गया, जो गलत किया उक्त नक्शा में हुऐ परिवर्तन का को दुरूस्त करवाने के लिये रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर एवं उनके बयानादि लेकर व तहसीलदार से रिपोर्ट तलब कर प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2015 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के संलग्न नायब तहसीलदार नवलगढ की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 28.05.2015 के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम घोड़ीवारा कलां के खसरा नम्बर 331 रकबा 1.44 हैक्टयर की खातेदारी रामलाल पि. सेवाराम जाति जाट सा. देह, के नाम एवं खसरा नम्बर 586/331 रकबा 1.44 हैक्टयर की खातेदारी हजारी लाल पुत्र सेवाराम जाति जाट सा. देह व खसरा नम्बर 335 रकबा 2.10 हैक्टयर की खातेदारी हनमान सिंह वल्द इन्द्रसिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज रिकार्ड है, खसरा

कोना खसरा नम्बर 330 की दक्षिणी पूर्वी सीमा के कोने पर मिला हुआ है जबकि मौके पर खसरा नम्बर 335 की सीमा खसरा नम्बर 330 व 331 के कोने से दक्षिण की तरफ कुछ दूरी पर स्थित है व पुरानी पैमाईश के नक्शे में भी उक्त सीमा पुराने खसरा नम्बर 146, 147, व 297 की सीमा का कोना आपस में मिला हुआ नही है, कुछ हटकर सीमा स्थित है तथा नायब तहसीलदार द्वारा उक्त पुराने नक्शे अनुसार नये खसरा नम्बर 330, 321 व 335 की सीमा नक्शें में दुरूस्त किये जाना उचित अंकित किया गया है जिसे अधीनस्थ न्याायालय द्वारा नक्शा ट्रेस सन् 1935–36 सम्वत् 1992 तथा नक्शा ट्रेस सन् 1979–80 के एवं पूर्व में बने नक्शें के अवलोकन से सन् 1979–80 में बने नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 331, 586/332 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा को गलत दर्शाया जाना सिद्ध पाते हुए ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2015 को पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2015 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।